संपादकीय जागरण

शनिवार, 30 जून, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 2 वि. 2075

जो जैसी संगति करता है, वैसा ही फल पाता है

चौंकाने वाला आंकड़ा

निश्चित रूप से यह सूचना हैरान करने वाली है कि स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा रकम में डेढ़ गुने की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका एक कारण तो यह है कि मोदी सरकार लगातार कालेधन पर अंकुश लगाने के दावे करती रही है और दूसरा यह कि बीते तीन सालों में स्विस बैंकों में भारतीयों की ओर से जमा की जाने वाली राशि में गिरावट दर्ज की जा रही थी। इस गिरावट को देखते हुए यही माना जा रहा था कि कालेधन के खिलाफ सरकार की कोशिश रंग ला रही है, लेकिन बीते दिनों स्विस नेशनल बैंक की ओर से जारी इस आंकड़े ने चौंका दिया कि पिछले वर्ष यानी 2017 में भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा धन करीब सात हजार करोड़ रुपये के बराबर पहुंच गया। यह राशि 2016 के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक है। हालांकि स्विस नेशनल बैंक यह नहीं कहता कि भारतीयों की ओर से जमा रकम कालेधन के रूप में है, फिर भी अधिकतर लोगों ने यही संदेश ग्रहण किया कि हो न हो, यह रकम कालेधन रोधी नियम-कानूनों की अनदेखी करके स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कराई गई। हो सकता है कि यह सही न हो, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं कि स्विस बैंकों में जमा की गई रकम भारत के नागरिकों की है या फिर भारतीय मूल के उन लोगों की जो दूसरे देशों में अनिवासी भारतीय अथवा वहां के नागरिकों के रूप में रह रहे हैं। इसी तरह तमाम खाते वैध भी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एक व्यक्ति को हर साल ढाई लाख डॉलर भारत से बाहर ले जाने की अनुमति मिली हुई है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की मानें तो 40 प्रतिशत से अधिक राशि तो इसी स्कीम के तहत हो सकती है। कुछ इसी तर्ज पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि यह मानना सही नहीं होगा कि सारा पैसा टैक्स चोरी का है और उसे चोरी-छिपे बाहर ले जाया गया। इन संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक पूरा विवरण सामने नहीं आ जाता तब तक संशय तो बना ही रहेगा। यह संशय कई सवालों को भी जन्म देगा। सच तो यह है कि ऐसे सवाल उभर आए हैं और उनके तहत सरकार को घेरा भी जा रहा है। इस सबके बीच राहत की बात यह है कि स्विस बैंकों में भारतीयों की ओर से जमा कराई गई राशि के बारे में पूरी जानकारी मिलने में ज्यादा देर नहीं।

अंतरराष्ट्रीय दबाव और साथ ही भारत के आग्रह पर एक समझौते के तहत स्विट्जरलैंड अगले साल से भारत सरकार को अपने यहां के बैंकों में खुले भारतीयों के खातों की पूरी जानकारी प्रदान करेगा। यदि इस समझौते के बाद भी यह सामने आता है कि कालेधन वाले हतोत्साहित नहीं हुए और वे किसी जतन-जुगाड़ से गुपचुप तरीके से पैसा बाहर भेजने में समर्थ रहे तो फिर सरकार के लिए समस्या बढ़ जाएगी। बेहतर हो कि जब तक स्विट्जरलैंड से वांछित जानकारी नहीं मिलती तब तक सरकार यह देखे-समझे कि स्विस बैंक भारतीयों के पसंदीदा बैंक क्यों बने हुए हैं?

बड़ा कदम

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने आखिरकार कानपुर में पहली कामर्शियल कोर्ट (वाणिज्यिक अदालतों) का गठन कर उद्यमियों के विवादों के निस्तारण के लिए उन्हें फोरम उपलब्ध करा दिया है। प्रदेश में अभी ऐसी 12 अदालतें और खोली जानी हैं, जिनका स्थापना के बाद प्रदेश में कारोबार के लिए बेहतर माहौल बन सकेगा। विवादों का निस्तारण न हो पाना उद्यमियों के लिए प्रदेश में एक बड़ी समस्या है और इसमें विलंब की वजह से व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिविल कोर्ट में इस तरह के लाखों मामले लंबित हैं। पहले से ही मुकदमों के बोझ से दबी अदालतें चाहकर भी कामर्शियल मामलों का निस्तारण समय से नहीं कर पातीं जिसका असर व्यवसाय पर भी दिखाई देता है। प्रथम चरण में सरकार ने 13 मंडलों में कामर्शियल कोर्ट खोलने का फैसला किया है और इनके अधिकार क्षेत्र भी निश्चित किए हैं, लेकिन मुकदमों की संख्या को देखते हुए ऐसी अदालतें हर मंडल में खोली जाएं तो ज्यादा प्रभाव नजर आएगा।

वाणिज्यिक अदालतों से न सिर्फ अन्य अदालतों से मुकदमों का दबाव कम होगा बल्कि उद्यम में भी अनुकूल प्रगति होगी

यह एक निराशाजनक तथ्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में भारत का स्थान अभी काफी नीचे है। व्यापार के अनुकूल दशाओं के संबंध में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में पिछले वर्ष भारत को 130 वां स्थान मिला था। इसके बाद ही इस सूची में भारत को प्रथम 50 में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत ही कामर्शियल कोर्ट का गठन किया जा रहा है। कानपुर में पहली कोर्ट स्थापित होने के बाद जल्द ही प्रदेश में आगरा, लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी मंडलों में भी यह कोर्ट नजर आएंगी। तीन लाख रुपये से अधिक के विवाद इन अदालतों में निस्तारित होंगे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या यूजीसी की जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने से शिक्षा के मोर्चे पर स्थिति में सुधार होगा?

आज का सवाल

क्या एफएटीएफ की निगरानी सूची में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

महिला सुरक्षा पर सस्ती सियासत

अद्वैता काला

क्या कोई भी तार्किक रूप से सोचने वाला भारतीय इस पर यकीन कर सकता है कि भारत में महिलाएं युद्ध की विभीषिका झेल रहे सीरिया से भी ज्यादा खतरे में हैं?

थॉमसन रॉयटर्स का एक हालिया सर्वे इसकी उम्दा मिसाल है कि एक बेतुकी कोशिश कैसे किसी वास्तविक मुद्दे की बलि ले लेता है। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों पर सामने आए इस सर्वे में यह स्पष्ट नहीं कि यह किन लोगों के जवाब पर आधारित है? क्या इसमें ग्रामीण या शहरी, आयु वर्ग, क्षेत्र और धार्मिक समूहों जैसे मानदंडों पर भी गौर किया गया? सर्वेक्षणकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इसके लिए 'विशेषज्ञों' से बात की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर वे किन विषयों के विशेषज्ञ हैं और वे किस वर्ग की महिला आबादी के साथ जुड़े हैं। जब इस बारे में पूछा गया तब थॉमसन रॉयटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि यह एक 'धारणागत' सर्वे था। इससे पहले तक आम लोग इसे तथ्य के तौर पर देख रहे थे। शुरुआत में तो थॉमसन रॉयटर्स ने ट्वीट के जरिये अपने सर्वे को प्रचारित किया और उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि यह सर्वे लोगों की राय पर आधारित है, जिसमें कोई संख्यात्मक आंकड़े नहीं हैं। इसके चलते कुछ लोगों ने इसे फर्जी सर्वे करार दिया। इसने उन लोगों को भी कुपित किया जिनकी नजर में यह भारत और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार की छवि खराब करने के अभियान से जुड़ी कवायद था। अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इन लोगों ने अतीत के तार छेड़ते हुए उन मिसालों के साथ पलटवार किया जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट-लिबरल मीडिया ने भारत के खिलाफ अपने पक्षपातपूर्ण रवैये का परिचय देते हुए वैसी सामग्री पेश की जो उसके वैचारिक आग्रहों से मेल खाती थी।

इस सर्वे में जहां भारत को महिला सुरक्षा के लिहाज से सबसे खतरनाक देश कहा गया और इस तरह पहले स्थान पर रखा गया वहीं अमेरिका को दसवें स्थान पर रखा गया। भारत के बाद अफगानिस्तान को दूसरे और सीरिया को तीसरे स्थान पर रखा गया। हालांकि अमेरिका के मामले में सवालों और टिप्पणियों का रुख तुरंत एक मीडिया रिपोर्ट की ओर मुड़ गया जिसमें एक विशेषज्ञ ने 'मी-टू' जैसे मुखर अभियान को इसकी वजह बताया जिसमें तमाम महिलाओं ने अपने यौन उत्पीड़न की पीड़ा साझा की थी और जिसका व्यापक असर भी देखा गया। सर्वे में शामिल रहे भारतीय 'विशेषज्ञों' की ओर से ऐसी कोई स्पष्टता नहीं व्यक्त की गई। ऐसे में यह हम पर ही है कि हम इससे सही या गलत निष्कर्ष निकालें। नेता इसमें तुरंत कूद पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिटनेस वीडियो पर निशाना साधते हुए बहुत हल्की टिप्पणी की। उन्होंने इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा कि सात साल पहले भी उनकी पार्टी के शासनकाल में भारत इस सर्वे में चौथे पायदान पर था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी ने उस सर्वे का संज्ञान लिया था। हालांकि उनके ट्वीट की भाषा संयमित थी। उसमें यह इंगित किया गया था कि सर्वे तथ्यों के बजाय धारणा पर आधारित था। तब मोदी ने राहुल और उनकी पार्टी पर निशाना साधने के लिए इस सर्वे का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार खुद को दमदार नेता साबित करने की जुगत में जुटे राहुल ने राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए सर्वे से जुड़े तथ्यों की अनदेखी की। उन्होंने एक तरह से महिलाओं को खौफजदा करने वाले अभियान की अगुआई की। महिला हितों के लिए काम करने वाली तमाम कार्यकर्ता इससे इत्तफाक नहीं रखतीं, क्योंकि महिलाओं में बेवजह का डर पैदा करना उन्हें सीमाओं में ही बांधता है।

अवधेश राजपूत

इस फर्जी सर्वे के कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की दरकार है। क्या कोई भी तार्किक रूप से सोचने वाला भारतीय यह विश्वास कर सकता है कि भारत में महिलाएं युद्ध की विभीषिका झेल रहे सीरिया से भी ज्यादा खतरे में हैं, जहां आइएस के आतंकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या के साथ ही उन्हें गुलाम बनाकर दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं?

मैं इसी बात पर जोर दूंगी कि सस्ती राजनीति को किनारे रखकर हम महिलाओं के नजरिये से इस सर्वे पर विचार करें। सर्वे में शामिल जिन 548 विशेषज्ञों को भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित लगा उनके बारे में हमें यह तक नहीं मालूम कि वे महिला हैं भी या नहीं? इस सर्वे को लेकर थॉमसन रॉयटर्स का रुख बेहद गैरजिम्मेदाराना और मनमाना रहा कुछ लोग उसके गैर-पेशेवर रुख और एजेंडे को देखते हुए इसे शरारतपूर्ण ही कहेंगे। चूंकि हमें कोई जानकारी नहीं कि सर्वे के लिए क्या पद्धति अपनाई गई और कैसे नमूने लिए गए इसलिए हम उसी मी-टू अभियान की मिसाल लेते हैं जो अमेरिका के दसवें स्थान पर आने की वजह बना। कहा जा रहा है कि मी-टू अभियान के अंतरराष्ट्रीय असर से इस धारणा को बल मिला कि अमेरिका में महिलाएं असुरक्षित हैं। अगर यही दलील है तो हम भारत की स्थिति में आई उछाल को भी अतीत से जोड़कर देखें जब पिछली बार 2011 में यह सर्वे किया गया था।

दिसंबर 2012 में जब निर्भया कांड सामने आया था तो उसने समूचे राष्ट्र की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। उस अपराध की बर्बरता, जिंदगी के लिए निर्भया का साहसपूर्ण संघर्ष और तत्कालीन संप्रग सरकार की संवेदनहीनता के चलते नारी समाज का आक्रोश सड़कों पर उतर आया था। लगा कि पानी सिर से ऊपर आ गया है। मीडिया ने भी सुनिश्चित किया कि निर्भया महज यादों में न रह जाए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने की राह में सिफारिशें देने के लिए जैन आयोग का गठन करने के साथ ही एक कोष भी बनाया गया। उस वीभत्स कांड के बाद मीडिया ने कश्मीर से लेकर केरल तक के ऐसे तमाम मामलों को उजागर किया। सोशल मीडिया में भी बहुत सक्रियता देखी गई। लोगों के सख्त तेवरों ने सरकार और संबंधित विभागों को कार्रवाई करने पर मजबूर किया। इससे भी बढ़कर पीड़ितों को निशाना बनाने की कोशिश करने वालों की भी खूब लानत-मलानत हुई। यौन उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के आरोपों में कई नामी-गिरामी लोग भी कानूनी शिकंजे में आए। इससे महिलाओं में उन अपराधों को दर्ज कराने का हौसला बढ़ा जो आमतौर पर पहले दर्ज ही नहीं होते थे।

इस पर दोराय हो सकती है कि दुष्कर्म रोकने के लिए किए गए उपाय कितने प्रभावी साबित हुए, लेकिन इस पर सभी सहमत होंगे कि इस अपराध को लेकर जागरूकता जरूर बढ़ी है। ऐसे में किसी धारणागत रिपोर्ट में उसका जाहिर होना स्वाभाविक है। यह भी कहा जा रहा है कि यह सर्वे उस दौरान हुआ जब देश में कठुआ और कन्नौज दुष्कर्म मामलों को लेकर जबरदस्त आक्रोश व्याप्त था। इसका मतलब है कि यह सर्वे न केवल धारणा, बल्कि समय आधारित भी है। इसके निष्कर्षों को खारिज करने के लिए तमाम दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर महिला सुरक्षा के मामले में किसी अविश्वसनीय सर्वे के आधार पर हमारे नेता सियासी हमला करने में आगे क्यों रहते हैं, भले ही इससे देश को शर्मसार होना पड़े?

(स्तंभकार जानी-मानी पटकथा लेखक हैं)

response@jagran.com

सबको आईना दिखाने वाले कबीर

डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

संत कबीर समान रूप से किसी भी संप्रदाय की आलोचना करते थे, जो शायद आज असंभव है

संत कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का एक-एक पक्ष आज भी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर हम सबकी आंखें खोलने के लिए बहुत ही युगानुकूल एवं प्रासंगिक है। इसी कारण उनकी पुण्यतिथि की पंचशती पर देश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी मगहर जाकर कबीर को याद किया और इस अवसर पर कई परियोजनाओं की शुरुआत की। कबीर एक युगद्रष्टा, तत्ववेत्ता, समाज सुधारक और मानवीय मूल्यों के अप्रतिम प्रतीक हैं। उनका जीवन यह रेखांकित करता है कि मूल्यों को स्थापित करने के लिए शिक्षा से अधिक संस्कार की आवश्यकता है। कबीर अशिक्षित होते हुए भी अपने ज्ञान से मानवीय मूल्यों के प्रेरणास्रोत बने। जुलाहा परिवार में पैदा कबीर आज से करीब पांच सौ साल पहले पूज्य संत बने। उनके गुरु थे काशी के रामानंद। संत रैदास भी आज की परिभाषा के अनुसार दलित जाति में पैदा होकर पूज्य संत बने। कबीर ने ही यह लिखा, 'जात न पूछो साधु की।' कबीर का जीवन उन लोगों के लिए एक आईना है जो यह कहते हैं कि कथित निचली जाति के लोगों को भारतीय समाज में स्थान और सम्मान नहीं मिलता था अथवा कोई गुरु उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाता था। संत कबीर और संत रैदास का जीवन इस विचार को प्रमाणित करता है कि गुलामी काल में जब शिक्षा एवं समृद्धि लगभग समाप्त हो गई थी और समाज में कई विकृतियां घर कर गई थीं तब भी भारत में जात-पांत से परे हटकर हर वर्ग को ज्ञान के आधार पर सम्मान मिलता था। महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास से लेकर रैदास और कबीर तक तथाकथित निचली जातियों में पैदा ऋषियों और संतों की एक समृद्ध परंपरा है।

मैकाले और मार्क्स से लेकर कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनियों के प्रभाव से पोषित विचारों से भारतीय संस्कृति को निकृष्ट बताकर समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने में लगे हुए आज की दलित राजनीति के स्वयंभू मसीहाओं के लिए कबीर का उदाहरण एक चुनौती के साथ आईना भी है। कबीर प्राचीन भारतीय ज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। वह तंत्र के रहस्यों से लेकर वैदिक दर्शन तक, हर चीज को सहज रूप में बता देते थे। उनकी प्रसिद्ध साखी 'ये रामनाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी' की एक पंक्ति है, ''अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुन तीनी चदरिया झीनी रे झीनी।' इसमें कुंडलिनी जागरण के आठ चक्र, पांच तत्व और त्रिगुणात्मक प्रकृति, तीनों की झलक है। इसी के साथ वह यह कहकर मूर्ति पूजा की प्रखर आलोचना करते हुए उसका उपहास उड़ाते हुए भी नजर आते हैं-

''पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार
ताते ये चक्की भली, पीस खाये संसार''

यह भारतीय संस्कृति में आलोचना के स्वागत और सहिष्णुता का एक उदाहरण है। वह समान रूप से किसी भी संप्रदाय की आलोचना करते थे, जो शायद आज असंभव है। ''कांकर पाथर जोर के, मसजिद दई बनाये।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, का बहरा भयो खुदाये।।''

यदि कबीर ने ऐसा कुछ आज बोल दिया होता तो वह सेक्युलरिज्म के दुश्मन ही नहीं कहलाते, बल्कि कट्टरवादी शायद उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर देते। कबीर की ईमानदार और निरपेक्ष आलोचना उनके लिए भी एक आईना है जो 'असहिष्णुता' को मुद्दा बनाते हैं। कबीर ने सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण देते हुए कहा है,

''हिंदू मुए राम कहि, मुसलमान खुदाय।
कहै कबीर एक जीवता, दुई में कदए न जाये।।''

मूलतः ईश्वर एक है का संदेश देने वाले इस दोहे से आज के एक राजनीतिक प्रश्न का उत्तर भी निकलता है। कबीर के ये विचार दिग्विजय सिंह सरीखे नेताओं के लिए एक आईना हैं जो कहते हैं, 'हिंदू होता क्या है? यह शब्द तो संघ की ईजाद है।' ऐसे लोग जो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी विचारधारा को कभी एक पक्ष में तो कभी दूसरे पक्ष में रखते जाते हैं और यह सोचते हैं कि दोनों के बीच रहकर वे जनता को भरमाते हुए अपना उल्लू सीधा कर ले जाएंगे उनकी भी कबीर खबर लेते हैं। जो कभी सड़क पर गोमांस की दावत करने वाले बन जाएं तो कभी जनेऊधारी, ऐसे दोहरेपन के परिणाम से भी कबीर अपने इस दोहे से अवगत कराते हैं- ''चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोए।
दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोए।।''

कबीर के पदों में गहन ज्ञान और दर्शन के तत्व भी बड़ी कुशलता से पिरोए हुए हैं, जिन्हें आज भी कथित बुद्धिवादी समझ नहीं पाते। क्वांटम फिजिक्स के प्रख्यात हाईजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म कणों से लेकर अखिल ब्रह्मांड तक किसी भी कण की स्थिति और गति का एक साथ निर्धारण असंभव है। यदि स्थिति सही होगी तो गति में त्रुटि होगी और यदि गति सही होगी तो स्थिति में त्रुटि होगी। इस वैज्ञानिक सिद्धांत की कसौटी पर कसें तो जो यह कहते हैं कि मैं ईश्वर को देखूं तभी विश्वास करूंगा वे अवैज्ञानिक बात कहते हैं, क्योंकि ईश्वर और मैं का एक साथ होना असंभव है। कबीर का यह दोहा विज्ञान और अध्यात्म के चरम समन्वय का प्रतीक है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी किया -

''जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहिं।
सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहिं।।''

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन की शक्ति

मन के लक्षण, कार्यपद्धति और शक्तियों के बारे में अनेक लोग कुछ नहीं जानते। हम अपने मन की शक्तियों से भली-भांति परिचित नहीं हैं। हम अपने मन को शरीर के भीतर एक अचेतन पदार्थ मानते हैं। इसलिए हम उसकी शक्ति को भी सीमित मानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाओं में ही किसी प्रकार चेतनता उत्पन्न हो जाती है और यही मन है। मनोविश्लेषण-विज्ञान ने मन के स्वरूप के विषय में हमारा ज्ञान बहुत कुछ बढ़ाया है, किंतु उसने हमारे शरीर से पृथक चेतन पदार्थ की कल्पना को अवैज्ञानिक माना है। मनोविश्लेषण-विज्ञान ने इतना तो अवश्य किया है कि शरीर की दशा को मन की दशा पर निर्भर सिद्ध किया है। जहां पहले मनोवैज्ञानिक मन को शरीर पर निर्भर मानते थे, वहां अब मानसिक व्यापारों और रोगों का कारण मन की स्थितियों में तलाशा जा रहा है। मनोविश्लेषणकर्ताओं का कथन है कि मन के स्वस्थ रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे पूर्वजों ने मन पर इससे कहीं अधिक विचार किया है। 'योग वाशिष्ठ' में मन को ही सृष्टि का कारण माना गया है। मन एक ओर शरीर का निर्माण करता है तो दूसरी ओर उस परिस्थिति का भी निर्माण करता है, जिसमें व्यक्ति को रहना है। हमारी मानसिक भावनाओं और बाह्य जगत में आंतरिक एकता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं की रूपरेखा पहले से ही हमारे मन में वर्तमान रहती है।

अपनी मानसिक भावनाओं के बदल देने से होने वाली घटनाएं भी बदल जाती हैं। जिस मनुष्य का अपने मन पर अधिकार है, वह परिस्थितियों से नहीं डरता। प्रतिकूल परिस्थितियां अंत में अनुकूल हो जाती हैं। जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक मन को एकाग्र करने की शक्ति होती है, वह उतना ही अधिक बाह्य परिस्थितियों का दास न रहकर उनका स्वामी बन जाता है। विचारों की स्थिरता में ही मनुष्य की सफलता का रहस्य है। हमारा मन शरीर के एक स्थान पर रहने पर भी जहां चाहे जा सकता है। देश और काल की सीमा शरीर के लिए है, मन के लिए नहीं है। इस तथ्य पर प्रत्येक मनुष्य को बार-बार भली प्रकार से मनन करना चाहिए। मन की शक्ति अपने निश्चय के अनुसार घटती और बढ़ती है। मनुष्य अपने मन में वैसी ही शक्ति का उदय होते हुए पाएगा, जैसी शक्ति का वह निश्चय कर लेगा।

डॉ. प्रणव पंड्या

तथ्य-कथ्य | अमेरिका से भारत का व्यापार

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

तथ्यों की अनदेखी

'सरदार पटेल के खिलाफ बेजा विचार' शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रो. मक्खन लाल ने सैफुद्दीन सोज जैसे लोगों को सलाह दी है कि वे इतिहास पर लिखते समय ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भी एक नजर डाल लिया करें। लेख पढ़कर यह लगता है कि यही सलाह लेखक को भी दी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 370 बिना संविधान सभा की अनुमति के संविधान में घुसा दिया गया। यह एकदम तथ्यहीन है। जरा संविधान सभा के वाद-विवाद की रिपोर्ट पढ़िए। खंड 9 के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 3394 एवं आगे यह रिपोर्ट देखी जा सकती है। 17 अक्टूबर, 1949 को गोपाल स्वामी आयंगार ने अनुच्छेद 306क के रूप में उक्त अनुच्छेद का मसौदा प्रथम बार सभा के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया। इस पर कोई खास बहस नहीं हुई। मात्र 4 संशोधन लाने की बात हुई, लेकिन उन्हें भी संबंधित सदस्यों ने वापस ले लिए। केवल मौलाना हसरत मोहानी ने इसका विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जो विशेषाधिकार आप कश्मीर को दे रहे हैं, वे बड़ौदा को क्यों नहीं देते। उनके विरोध को दरकिनार कर अनुच्छेद 306क को स्वीकार कर लिया गया। यही आगे चलकर अनुच्छेद 370 के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 3394 से 3397 के बीच अनुच्छेद 370 का मूल मसौदा है, 3403 से 3406 के बीच संविधान सभा द्वारा पारित अनुच्छेद का मसौदा है। दोनों एक ही हैं। और यही हमारे संविधान का अनुच्छेद 370 है। लेखक को बता दूं कि अनुच्छेद 370 के किसी मसौदे से डॉ. आंबेडकर, महाराजा हरिसिंह आदि का कोई लेना-देना नहीं था, यह केवल और केवल आयंगार तथा शेख के बीच हुए विचार-विमर्श का ही परिणाम था।

अजय मित्तल, मेरठ

विरोध हर जगह नहीं

जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब उसके शौर्य पर कांग्रेस सहित कुछ पार्टियों ने अंगुली उठाई थी और इसे फर्जी तक करार दिया था। यहां तक कि इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी मांग लिया था, लेकिन उस समय सेना ने गोपनीयता की वजह से उस कार्रवाई का वीडियो जारी नहीं किया था, लेकिन जब आज सेना ने उस वीडियो को जारी कर दिया तो फिर उस पर भी अंगुली उठनी शुरू हो गई। विपक्षी पार्टियां देश की सेना के शौर्य पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दे रही हैं। प्रश्न खड़ा करना कहीं से भी गलत नहीं, लेकिन जहां राष्ट्र की बात होती है वहां तो एक रहना चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

क्या गलती स्वीकारेंगे?

सर्जिकल स्ट्राइक का जिन्न एक बार फिर बोतल से निकलकर राजनीतिक विमर्श के मैदान पर सबूत के रूप में आया है। इस ऑपरेशन पर जिस तरह से कांग्रेस व अन्य कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सेना के अभियान पर संदेह जताते हुए प्रमाण तक मांग लिए थे और साथ ही इसे भाजपा की गुमराह करने वाली राजनीति का हिस्सा बताया था। आखिर ऐसे नेताओं की बेजा विरोध करने वाली राजनीति से कहीं न कहीं हम पाकिस्तान को खुश होने का मौका ही दे रहे थे। इस वीडियो के बाद अब यही सवाल उठता है कि क्या सेना से प्रमाण मांगने वाले अपनी गलती स्वीकारेंगे?

शैलेंद्र सिंह, नई दिल्ली

बर्फानी बाबा और सुरक्षा

अजीब बात है कि हम बगैर सुरक्षाबल के साये में बर्फानी बाबा के दर्शन भी नहीं कर सकते। यह समस्या हर साल की है। केंद्र सरकार को इसकी स्थाई व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए ताकि श्रद्धालु गुफा में विराजे भोलेनाथ के दर्शन बेफिक्र होकर कर सकें। आखिर कब खत्म होगा श्रद्धालुओं के मन से असुरक्षा का भाव। mahesh_nenava@yahoo.com

बालिका के साथ दरिंदगी

मध्यप्रदेश के मंदसौर शहर में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाली आठ साल की बालिका के साथ जिस दरिंदगी से दुष्कर्म कर उसके जननांगों को क्षत- विक्षत किया गया उसने हैवानियतों की सारी हदों को पार कर दिया। इस घटना ने एक और निर्भयाकांड की याद ताजा कर दी है। इस घिनौनी घटना के बाद किसी का भी खून खौलना स्वाभाविक ही है। अगर पिछली घटनाओं से सबक लिया होता तो शायद ऐसी घिनौनी वहशी वारदात की पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस प्रदेश ने 12 साल या उससे कम उम्र की बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को फांसी देने का कानून सबसे पहले बनाया हो, वहां इस तरह की घटना अफसोसजनक है। महिला उत्पीड़न के मामले में मध्यप्रदेश का रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। दुष्कर्म के मामले में इस प्रदेश की गणना अग्रणी राज्यों में होती रही है। मध्यप्रदेश महिला अत्याचार के मामले में सबसे भयावह प्रदेश बनता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश में बीते वर्षों में कुल अपराधों में कमी आई है वहीं महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामलों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। महिलाओं के साथ मारपीट में प्रदेश की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बीते 4 माह के दौरान पत्नी से मारपीट के 22 हजार मामले दर्ज हुए। जो समाज अपनी बहन- बेटी बच्चियों की आबरू की हिफाजत नहीं कर सकता उसे सभ्य समाज कहलाने पर लानत है। मंदसौर की जनता का सड़कों पर उतरकर आरोपी को उनके हवाले करने और अपने हाथों सजा देने की मांग करना एक नगर के वाशिंदों के पीड़ा की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। आखिर कब तक हवस के भेड़िये मासूम कलियो को नोच-नोच कर उनकी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे?

joshi.devendra85@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

स्विस बैंक में सारे विदेशियों का पैसा बढ़ा–3 प्रतिशत। भारतीयों का पैसा बढ़ा–50 प्रतिशत। तीन साल से भारतीयों का स्विस बैंक में बैलेंस कम हो रहा था, पिछले साल 45 प्रतिशत कम हुआ था। इस साल क्या हुआ?

मानक गुप्ता@manakgupta

आतंक से लड़ रही सेना के खिलाफ राजनीति नहीं करने दूंगा, यह सुन, आत्मा का सौदा कर लेने वाले 11 नवपतित गिद्धों को जमा करके बौने सरदार ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे व संगठन के साथ नहीं हो। तो सुनो लंपटेश देश के साथ था, हूं, रहूंगा और तुम जैसे रोज आएंगे, रोज जाएंगे, पर देश था, है और रहेगा।

कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

चले थे विदेशों से काला धन वापस लाने,
अपने देश का धन और बाहर भेज दिया।

पवन खेड़ा@Pawankhera

10 में 9 इंटरनेट प्रयोक्ता अपनी भाषा में सामग्री पसंद करते हैं। सिर्फ अपनी भाषा में इंटरनेट प्रयोग करने वाले अभी 24 करोड़ हैं। 2021 तक यह संख्या 50 करोड़ होने की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ी हिंदी तक में पर्याप्त सामग्री नहीं है।

राहुल देव@rahuldev2

रिक्त पद होने के बावजूद दिल्ली वालों को रोजगार की समस्या से जूझना पड़ता है, पूर्ण राज्य होने पर हम 85 प्रतिशत रिक्तियों को दिल्ली वालों के लिए सुनिश्चित करेंगे।

गोपाल राय@AapKaGopalRa

जनपथ

खुशियाली की बात है सुनो लगाकर कान,
स्विस बैंक में बढ़ रहा रुतबा-ए-हिंदुस्तान।
रुतबा-ए-हिंदुस्तान यही है बड़ी विवशता,
चोरों के सरदार ढूंढ लेते हैं रस्ता!
नोटों पर प्रतिबंध और जीएसटी पा ली,
फिर कैसे श्रीमान बढ़ रही ये खुशियाली?

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 346